(5)

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना।

(जिला शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

30-04-2013 विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–124/2013 में आवेदक **श्री अरविन्द कुमार सिंह**, पिता– स्व0 रामभरत सिंह, सा0–केशरी नगर, रोड नं0–12, पो0–केशरी नगर, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे दानापुर मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, दानापुर में वाणिज्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आवेदक की वार्षिक आय 4,80,000/– (चार लाख अस्सी हजार) रूपये प्रतिवर्ष है। अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–343/गो0, दिनांक–16.03.2013 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र मूल में संलग्न कर अग्रसारित व अवलोकनार्थ भेजी गयी है। पुलिस निरीक्षक–सह–थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर द्वारा आवेदक के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति दी जा सकती है, परन्तु समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका–10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक **श्री अरविन्द कुमार सिंह** को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा

भय / खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर / पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-**11016/16/2009**, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री अरविन्द कुमार सिंह**, पिता–स्व0 रामभरत सिंह, सा0–केशरी नगर, रोड नं0–12, पो0–केशरी नगर, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर / पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।